पर्चा डिकी

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 21/2019

1. डालूराम उर्फ दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
2. शिवकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
3. जयप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
4. नरेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
5. राजेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
6. किशन उर्फ रमन शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. परमेश्वरी पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
2. तुलसी पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
3. प्रेमलता पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जगदीश महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 482/462 के खसरा सं0 297 की 12.975है0 बारानी खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी 13/240 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा बीबीपूर के खाता सं0 46/45 के खसरा सं0 208 की 1.581है0 खसरा सं0 213 की 2.466है0 कुल 4.047है0 बारानी जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी 13/240 हिस्सा तथा रोही मौजा बीबीपूर के ही खाता सं0 47/46 के खसरा सं0 27 की 3.933है0 खसरा सं0 28 की 0.721है0 खसरा सं0 29 की 0.683है0 कुल 5.337है0 बारानी खातेदारी जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/160 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी 13/480 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा [illegible] है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण को बहिस्सा बर[illegible]र राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना [illegible]।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को हस्ताक्षर एवं न्यायालय क[illegible] से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:39 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 21/2019

1. बालूराम उर्फ दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
2. शिवकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
3. जयप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
4. नरेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
5. राजेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
6. किशन उर्फ रमन शर्मा पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. परमेश्वरी पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
2. तुलसी पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
3. प्रेमलता पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरड़ा त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव **: वादीगण**

वकील श्री जगदीश महला **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 31.03.21**

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 482/462 के खसरा सं0 297 की 12.975है0 बारानी खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी 13/240 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा बीबीपूर के खाता सं0 46/45 के खसरा सं0 208 की 1.581है0 खसरा सं0 213 की 2.466है0 कुल 4.047है0 बारानी जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी 13/240 हिस्सा तथा रोही मौजा बीबीपूर के ही खाता [illegible]6 के खसरा सं0 27 की 3.933है0 खसरा सं0 28 की 0.72[illegible]है0 खसरा सं0 [illegible] की [illegible]3है0 कुल 5.337है0 बारानी खातेदारी जिसमें वादीगण ए[illegible] बराबर 9/160 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी [illegible] रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीगण के दादा उदाराम की खातेदारी हुआ करती [illegible] उदाराम के बाद उक्त भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है तथा वादीगण ही उसकी लगान अदा करते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं 2 ता 4 ने अपने पिता की मृत्यू के

Scanned with CamScanner

समय बैठकर पारिवारिक समझौतानामा कर लिया था कि वाद भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया था, जब वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक समझौता प्रतिवादीगण को अपना हक व हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये, लिहाजा यही बिनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ जवाब पेश किया गया। पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजेश पुत्र रामेश्वरलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही बीबीपुर प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी ग्राम शेरड़ा प्रदर्श 3 पारिवारिक समझौता प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। तथा इसी प्रकार पीडब्लु 2 विनोद पुत्र गौरीशंकर व पीडब्ल्यू 3 पवन कुमार शिवरतन के साक्ष्य करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 व वादीगण के बीच पारिवारिक समझौता हुआ है जिसके चलते प्रतिवादीगण ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही शेरड़ा व बीबीपूर के राजस्व रिकार्ड में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही बीबीपुर प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी ग्राम शेरड़ा प्रदर्श 3 पारिवारिक समझौता प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 4 में पारिवारिक समझौता जिस पर ए से बी पर गवाह पवन कुमार सी से डी जगह पर गवाह विनोद के हस्ताक्षर तथा ई से एफ जगह पर वादीगण व जी से एच स्थान पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है से प्रतिवादीगण ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:39 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादीगण [illegible] किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही [illegible] सं0 482/462 के खसरा सं0 297 की 12.975है0 बारानी खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी [illegible]/240 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा बीबीपूर के खाता सं0 46/45 के खसरा सं0 208 की 1.581है0 खसरा सं0 213 की 2.466है0 कुल 4.047है0 बारानी जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी 13/240 हिस्सा तथा रोही मौजा बीबीपूर के ही खाता सं0 47/46 के खसरा सं0 27 की 3.933है0 खसरा सं0 28 की 0.721है0 खसरा सं0 29 की 0.683है0 कुल 5.337है0 बारानी खातेदारी जिसमें

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर 9/160 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी 13/480 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner